कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

Phone No : 07786-242109 Email Id : dpm.kondagaon@gmail.com

क्रं./ 1505 /मु.चि.अ./एन.एच.एम./2016–17 कोण्डागांव, दिनांक 25/08/2017

प्रति,

NIC प्रभारी
जिला कार्यालय,
जिला–कोण्डागांव

विषय :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञ पदों की संविदा भर्ती के संबंध में।

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव के अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती हेतु पद विज्ञापित किये गये है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः उक्त विज्ञापन को राज्य एवं जिले की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न :– प्रेस विज्ञप्ति एवं विज्ञापन का प्रारूप।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

Phone No : 07786-242077 Email Id : dpm.kondagaon@gmail.com

क्र./ 1506 /मु.चि.अ./एन.एच.एम./2016–17 कोण्डागांव, दिनांक 25/03/2017

//विज्ञप्ति//

जिला चिकित्सालय कोण्डागांव में विशेषज्ञ चिकित्सक के निम्न पदों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थीयों से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोण्डागांव (छ0ग0) में रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट के माध्यम से या कार्यालय के ई–मेल cmhok.geon@gmail.com & dpm.kondagaon@gmail.com पर दिनांक 25/04/2017 सायंकाल 5.30 बजे तक आवेदन कर सकते है ।

क्रं.	पदनाम	पद संख्या	एकमुश्त वेतनमान	योग्यता
1	भैषज विशेषज्ञ	1	90000/- for (PGMO/DIPLOMA) & 135000/- for (MD/DNB) upto Negotiable	1. Essential Qualification -MBBS & PG Degree/Diploma in the concerned speciality 2. Recognised in the Medical Counsil of India 3. Recognised with the CG Medical counsil or any other duly consist Medical counsil of India. **Describle** Experience 0-3 years after PG Degree/Diploma.
2	शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ	1		
3	शिशु रोग विशेषज्ञ	1		
4	स्त्री रोग विशेषज्ञ	1		
5	निश्चेतना विशेषज्ञ	1		
6	नाक,कान, गला विशेषज्ञ	1		
7	अस्थि रोग विशेषज्ञ	1		
	कुल	**7**		

नोट :–

1. विज्ञापन का प्रारूप एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश वेबसाइट www.kondagaon.gov.in **or** www.cgstate.gov.in में उपलब्ध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

Phone No : 07786-242077 Email Id : dpm.kondagaon@gmail.com

क्र./ 1506 /मु.चि.अ./एन.एच.एम./2016–17 कोण्डागांव, दिनांक 25/02/2017

रिक्त पदों हेतु अन्य अनिवार्य अर्हताएं (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

01. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
02. अभ्यर्थी का MCI से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
03. चयन प्रक्रिया–अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जावेगी।
    - ✓ शैक्षणिक योग्यता
    - ✓ अनुभव
04. अभ्यर्थी का साक्षात्कार दूरभाष के माध्यम से लिया जावेगा। अतः अभ्यर्थी अपना मोबाईल नंबर में /ई–मेल आईडी एवं अन्य जानकारी अनिवार्यतः देवे । दूरभाष के माध्यम से लिये गये साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को जिला कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं लिखित/कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा ।
05. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी/अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
06. उम्मीदवार की आयु 01/01/2017 की स्थिति में न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए।
07. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
08. आवश्यकतानुसार परीक्षा जिला कार्यालय में ली जावेगी। जिसमें शामिल होने के लिये अभ्यर्थीयों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
09. संविदा मानदेय संविदा–सेवावधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
10. उपरोक्त सेवा अवधि 31 मार्च 2018 तक के लिये होगी कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है।
11. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है । इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जावेगा।
12. योग्यता अनुसार उम्मीदवार न पाये जाने की दशा में योग्यता में शिथिलीकरण किये जाने का अधिकार जिला स्वाथ्स्य चयन समिति का होगा।
13. नियमानुसार आरक्षण का पालन किया जावेगा।
14. उक्त संविदा पद अस्थानान्तरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

15. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।
16. विज्ञापन पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी ।
17. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
18. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें ।
19. उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतिक्षा सूची से भरा जा सकेगा ।
20. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है, कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
21. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्वास्थ्य चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
22. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य है।
23. रजिस्ट्रेशन समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
24. वेतनमान साक्षात्कार के दौरान विशेषज्ञ एवं चयन समिति की चर्चा उपरांत विषय एवं अनुभव के आधार पर एकमुश्त निर्धारित होगी ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–कोण्डागांव (छ0ग0)